न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 186/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
इब्राहिम पुत्र समसुदीन उर्फ बाबूदीन जाति सिंधी मुसलमान निवासी बगडकी तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर		1– अलीखां पुत्र मालू खां 2– जगमाल खां पुत्र मालू खां 3– सफरूखां पुत्र भालूखां 4– अब्दुल गफार पुत्र सोमू खां 5– सलीम खां पुत्र सोमू खां 6– फजरू खां पुत्र सोमू खां 7– फादर खां उर्फ कादर खां पुत्र सोमू खां 8– उम्मेद अली पुत्र सोमू खां 9– मरियम पुत्री सोमू खां 10–अफिया पत्नो सोमू खां जातियान सिंधी मुसलमान निवासी शेखनगर मलार तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर 11– भूमिधारी तहसीलदार पीपाडशहर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25–5–2018 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 357/18 अलीखां वगैरा बनाम भूमिधारी तहसीलदार पीपाडशहर मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बी.एस.भंवरिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 10 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 3–10–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 10 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शेखासर पटवारी मण्डल मलार तहसील पीपाडशहर के खसरा नबर 990 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि आई हुई है । उक्त खसरा नंबर 990 मे से 15 बिस्वा भूमि रास्ता हेतु समर्पित होने से नामांतरकरण संख्या ए 407 दिनांक 6–9–2017 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे उक्त भूमि राजकीय सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज हुई, जिसके नये खसरा नंबर 990/2 पडे । वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 10 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि उनके द्वारा खसरा नंबर 990 मे से रास्ते के रूप मे समर्पित की गई भूमि के संबंध मे प्रार्थीगण को यह जानकारी थी कि सलंग्न

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नजरी नक्शे मे मार्क एबीसीडी को रास्ता हेतु समर्पित किया गया है जबकि नक्शा ट्रेस मे एबीसीडीईएफ को रास्ता दर्शाया गया है, जो गलत है । सलंग्न नक्शा ट्रेस मे ईएफ पर प्रार्थीगण की ढाणियां बनी हुई है तथा रास्ते हेतु समर्पित की गई भूमि नक्शे मे मार्क एबीसीडी के रूप मे जहां दर्शित है, वहां पर तरमीम की जाये व नक्शा ट्रेस मे सलंग्न नजरी नक्शे मे मार्क ईएफ स्थान पर दक्षिण दिशा मे जो तरमीम की गई है, उसे निरस्त करने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस से हटाये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–5–2018 के द्वारा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार पीपाडशहर को आदेशित किया कि ग्राम शेखानगर के खसरा नंबर 990/2 मे 15 बिस्वा भूमि को सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क एबीसीडी के रूप मे जहां दर्शित किया गया है, वहां पर तरमीम की जाकर ट्रेस मेप मे सलंग्न नजरी नक्शे मे मार्क ईएफ के स्थान पर दक्षिण दिशा मे तरमीम की गई है, उसे निरस्त करने का आदेश पारित किया तथा सलंग्न नजरी नक्शे को आदेश का भाग माना । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–5–2018 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट ने यह अपील प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने की अनुमति के साथ प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ग्राम बगडकी तहसील पीपाडशहर का निवासी है और ग्राम बगडकी की राजस्व सीमा मे खसरा नंबर 37 रकबा 0.18 बिस्वा भूमि मे अपीलांट की ढाणी बनी हुई है तथा अपीलांट पिढियो से ग्राम शेखनगर के खसरा नंबर 990 मे से ही अपने घर आता जाता रहा है तथा अपीलांट के घर पर आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 990 मे से ही है इसलिए अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय से प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांट ने यह अपील अनुमति बाबत अपील पेश करने के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, जिसे स्वीकार क्ररने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 10 ने ग्राम शेखनगर के खसरा नंबर 990 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा भूमि मे से 0.15 बिस्वा भूमि सार्वजनिक हितार्थ रास्ते हेतु राज्य सरकार को समर्पित की थी तथा राजस्व रेकर्ड मे खसरा नंबर 990 मे से 0.15 बिस्वा भूमि जरिये म्युटेशन संख्या ए 407 स्वीकृति दिनांक 6–9–2017 के द्वारा सावर्जनिक रास्ते के रूप मे दर्ज हो चुकी थी तथा उक्त रास्ते की भूमि की नक्शा ट्रेस मे भी तरमीम हो चुकी थी । परंतु वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 10 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप मे

दर्ज थी तो अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व अधिकारियो से मौके की वस्तुस्थिति की जानकारी लेनी चाहिये थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई जांच नही करवाकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जब अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके परिवारजनो ने अपीलार्थी के मकान के सामने से सार्वजनिक रास्ते की भूमि खसरा नंबर 990/2 पर पत्थर डालकर रास्ता बंद कर दिया जिससे अपीलांट का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया तो अपीलांट ने तहसीलदार पीपाडशहर के समक्ष सार्वजनिक भूमि पर रास्ते पर से कब्जा हटाकर रास्ता खुलवाने का निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का मलार से मौके की रिपोर्ट तलब की जानें पर पटवारी हल्का ने खातेदारो की उपस्थिति मे मौका फर्द तैयार की गई जिसमे मौके पर रास्ता मौजुद होना तथा मजीजखां द्वारा रास्ता रोके जाने का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ होने पर तीन दिन मे अतिक्रमण हटाने हेतु पाबंद करने बाबत तहसीलदार पीपाडशहर मे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त तमाम घटनाक्रम की जानकारी तहसीलदार पीपाडशहर को होते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार पीपाडशहर ने उक्त तथ्यो को प्रकट किये बिना रेस्पो0 संख्या 1 से 10 से दुर्भिसंधि करते हुए अपना जवाब पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब खसरा नंबर 990/2 मे ई से एफ भाग पर सार्वजनिक रास्ता दर्शाया हुआ था तो उक्त सार्वजनिक रास्ते का उपयोग लेने वाले व्यक्तियो को सुनवाई का अवसर देकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर खसरा नंबर 990/2 के रास्ते ई से एफ को खुलाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से रास्ता बंद करने का कथन किया है, इस संबंध मे वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट ग्राम बगडकी का निवासी है जबकि अपीलाधीन खसरा नंबर 990 ग्राम शेखनगर का है इसलिए पहले यह भी देखना होगा कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित पक्षकार है या नही तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट के घर

का आने जाने का पृथक से रास्ता ग्राम बगडकी मे उपलब्ध है जिसका अपीलांट उपयोग कर सकता है, अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के किसी प्रकार के हित अधिकार प्रभावित नही होते है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि यदि अपीलांट को रास्ते संबंधी कोई शिकायत है या रास्ता खुलवाना है तो इसके लिए अपीलांट को आर.टी.एक्ट की धारा 251 ए के तहत कार्यवाही करनी होगी । रेस्पो0 अधिवक्ता अपीलांट ने अपने इसी अपीलाधीन भूमि के रास्ते के संबंध मे सिविल न्यायाधीश पीपाडशहर के समक्ष ईजमेन्ट राईट (सुखाधिकार) का वाद पेश कर रखा है जिसमे इन्ही रेस्पो0गण को पक्षकार बना रखा है जिसकी प्रति वकील रेस्पो0 ने फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत की है ऐसे मे उक्त वाद मे पारित निर्णय से ही अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त हो सकता है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि हमने हमारी सुविधा के लिए अपनी खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के लिए भूमि राज्य सरकार को समर्पित की थी न कि आम जन के लिए इसलिए अपीलाधीन रास्ते की भूमि पर अपीलांट को किसी प्रकार का अधिकार हासिल नही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा रेस्पो0 अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया, उनके तर्को, दलीलो पर चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–5–2018 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध रेकर्ड का तथा रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो का भी गहनता से अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन कि अपीलाधीन आदेश की पालना के जरिये उसके घर तक जाने का रास्ता बंद हो गया है अतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाये तथा ग्राम बगडकी के खसरा नंबर 990/2 के नक्शा ट्रेस मे ई से एफ तक की तरमीम को निरस्त कर रास्ता खुलवाया जायें । इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपीलांट ग्राम बगडकी का निवासी है जबकि अपीलाधीन खसरा नंबर 990/2 अन्य ग्राम शेखनगर का है तथा अपीलांट के घर का आने जाने का पृथक से रास्ता ग्राम बगडकी मे उपलब्ध है जिसका अपीलांट उपयोग कर सकता है । फिर भी यदि अपीलांट उक्त रास्ते को खुलवाना चाहता है तो इसके लिए अपीलांट को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियक के तहत कार्यवाही करनी होगी ।

इसके अलावा वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे फार्म नंबर 3 के सलंग्न जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलांट ने इसी अपीलाधीन भूमि के रास्ते के संबंध मे सिविल न्यायाधीश पीपाडशहर के समक्ष ईजमेन्ट राईट (सुखाधिकार) का वाद पेश कर रखा है जिसमे इस अपील के रेस्पो0गण को पक्षकार बना रखा है, ऐसे मे उक्त वाद मे पारित निर्णय से ही अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त हो सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) पीपाडशहर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–5–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 3–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर